UPGK010014572026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।

आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या–175/2026

कमलावती देवी ––––बनाम–––––––रामिलन चौहान आदि।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 3 क अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०

दिनांक–30–03–2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा– 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर आदेश हेतु नियत है। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रार्थिनी कमलावती देवी द्वारा जो कथन किये गये है वह संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिनी कमलावती देवी पत्नी उमेश निवासिनी मौजा–मोहरीपुर, थाना–चिलुआताल, जिला–गोरखपुर की निवासी है। प्रार्थिनी दिनांक–28/11/2025 को समय करीब 8:00 बजे अपने घरेलू कार्य में व्यस्त थी पुरानी रंजिश को लेकर राममिलन चौहान पुत्र अज्ञात अकारण जाति सूचक चमाईन की जाति मादरचोद गाली देने लगा। प्रार्थिनी ने गाली देने से मना किया तो राममिलन चौहान, गोलू पुत्र राममिलन, राममिलन की पुत्री, राममिलन की पत्नी व चार–पांच अज्ञात लोग एक राय होकर मिलकर मारने लगे, मेरी पुत्री बीच–बचाव करने लगी तो उसे भी मारे–पीटे, प्रार्थिनी की पुत्री को काफी चोटें आ गई। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गये और बीच–बचाव करने लगे मुल्जिमान उन्हें भी बुरी तरह से मारने–पीटने लगे। मुल्जिमान जाते समय जाति सूचक गालियां देते हुए और जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। प्रार्थिनी 112 को फोन किया पुलिस आयी मुल्जिमान नहीं मिले। प्रार्थिनी थाने पर दरखास्त दिया जिसमें मार–पीट, जान से मारने की धमकी देना व जाति सूचक गाली देने का दरखास्त थाने पर दिया तो थाना–चिलुआताल की पुलिस दरखास्त बदलवा कर दूसरी दरखास्त लिखवाकर लिया और मुल्जिमानों के खिलाफ अपराध संख्या–769/2025 धारा–191(2), 115(2), 352, 351 बी०एन०एस० दर्ज किया गया तथा मुल्जिमानों का बचाव करते हुए अनु० जाति, अनु० जन जाति अधिनियम के तहत मुल्जिमानों के खिलाफ दर्ज नहीं किया गया। प्रार्थिनी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को दिनांक–19/01/2026 को अनु० जाति व अनु० जन जाति अधिनियम के तहत रजिस्ट्री सूचना किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुआ।

प्रार्थिनी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को भेजे गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, रजिस्ट्री रसीद की मूल प्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रतियाँ, प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति, जन सुनवाई पर्चे की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति आदि दाखिल की है।

थाना चिलुआताल, गोरखपुर से उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार आवेदिका कमलावती देवी पत्नी उमेश निवासिनी मोहरीपुर थाना चिलुआताल जिला गोरखपुर द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र की जाँच के क्रम में अभिलेखों का अवलोकन से पता चला कि उक्त घटना के संबंध में थाना स्थानीय पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदिका द्वारा विपक्षीगण पर पुरानी रंजिश को लेकर जातिसूचक शब्दो से अपमानित करते हुए गाली गुप्ता देने, मारने पीटने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। थाने से प्राप्त आख्या के अवलोकन से दर्शित है कि उक्त घटना के संबंध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि आवेदिका द्वारा उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया था किन्तु थाना स्थानीय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध संख्या–769/2025 अन्तर्गत धारा–191(2), 115(2), 352, 351 बी०एन०एस० दर्ज किया गया तथा मुल्जिमानों का बचाव करते हुए अनु० जाति/अनु० जनजाति अधिनियम के तहत मुल्जिमानों के खिलाफ दर्ज नहीं किया गया। मुकदमा अपराध संख्या–769/2025 के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदिका द्वारा अपने तहरीर में विपक्षीगण द्वारा उसे जातिसूचक शब्दो से गाली गुप्ता दिये जाने का कथन नही किया गया है, फिर भी विवेचक दौरान विवेचना यदि उचित पाता है तो वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम में मुकदमे को दर्ज कर सकता है। यहां पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि दांण्डिक प्रक्रिया को किसी को तंग करने, व्यक्तिगत रंजिश निकालने अथवा दूरगामी उद्देश्यों के साथ विपक्षी को दबाव में लाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **Pradeep Kumar Vs. State of UP and 2 others APPLICATION U/S 528 BNSS No. 18266 of 2025** में अभिमत व्यक्त किया गया है कि बीएनएसएस की धारा–175(3) के प्रावधान काफी हद तक पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–156 (3) के समान हैं। इसलिए पूर्व में स्थापित कानूनी सिद्धांत नए पर भी लागू होंगे। यदि आवेदन में ऐसे किसी साक्ष्य की आवश्यकता नही दिखती, जिसे केवल पुलिस जांच के जरिये ही जुटाया जा सकता हो तो मजिस्ट्रेट उसे शिकायत के रुप में मान सकता है। पुलिस जांच का आदेश तब दिया जाना चाहिए, जब अभियुक्तों का विवरण ज्ञात न हो, बरामदगी की आवश्यकता हो या साक्ष्य एकत्र करने के लिए वैज्ञानिक जांच की जरूरत हो।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितयों में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदिका कमलावती देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त किया जाता है।

(प्रवीण कुमार सिंह–द्वितीय)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर
I.D. No.–UP6051

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR SINGH
Date: 2026.03.30 17:13:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court